UPMZ010073382026
न्यायालय सेशन जज, मुजफ्फरनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2923 सन् 2026

चुटकी उर्फ छुटकी पुत्र बालेन्द्र, निवासी ग्राम योगेन्द्रनगर, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर।

.....प्रार्थी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

अंतर्गत धारा–307, 331(6) बी.एन.एस.
थाना–खतौली, जिला मुजफ्फरनगर।
मु.अ.सं.–255/2025

10.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना खतौली के अपराध संख्या–255 सन 2025, धारा– 307, 331(6) भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही निरस्त हुआ है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय से दिनांक 27.05.2026 को निरस्त हो चुका है। वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जैसा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित किया गया है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस ने अपनी कारगुजारी दिखाने के लिये मुकदमा उपरोक्त में झूठा नामजद किया है। उक्त अपराध में कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई चोरी नहीं की है और न ही कोई बरामदगी हुई है। पुलिस ने उठाकर मुकदमा उक्त में झूठा चालान किया है। अब तक की गयी लिखा पढ़ी के आधार पर उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। उसपर जो मुकदमें दिखायी गये है उनमें वह जमानत पर है। आवेदक/अभियुक्त मजदूरी पेशा व्यक्ति है, जेल में रहने से उसके परिवार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। प्रार्थी की जमानत मु.अ.सं. 120 सन् 2025 व मु.अ.स.

463 सन् 2025, थाना बुढ़ाना व रतनपुरी में स्वीकार हो चुकी है। मुकदमा उपरोक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। उसके कहीं भागने अथवा गवाहान तोड़ने का अंदेशा नहीं है। वह दिनांक 18.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। न्यायालय के आदेशानुसार उचित जमानत देने को तैयार है। प्रार्थना है कि आवेदक/अभियुक्त को दौरान मुकदमा उचित जमानत पर रिहा फरमाने की कृपा करें।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति का मामला है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का 6 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा तौसीफ द्वारा घटना का दिनांक व समय अंकित न करते हुए दिनांक 26.06.2025 को समय 17.24 बजे थाना खतौली पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि उसका छोटा भाई अनव मौहिददीनपुर में रहता है तथा ऊपर के पोरशन में उसका भतीजा अनस रहता है। उसके भाई के बच्चे दो तीन दिन से अपनी नानी के यहां मुजफफरनगर गये हुए थे तथा उसका भाई चीतल होटल में रात्रि में गार्ड की नौकरी करता है। इस कारण उसके भाई अनवार के मकान में कोई नहीं था। रात्रि करीब ढाई बजे उमरेज जो अनवर के सामने रहता है ने फोन किया। उनका भतीजा मौ. आसिफ जो थोडी दूरी पर रहता है, कि उसके चाचा के घर में कोई नहीं है। इस पर वादी ने उनके मकान के ऊपरी पोरशन में रह रहे अनस को फोन किया तो उसका फोन नहीं उठा। शोयब अपने भाई अमजद के साथ हाथों में लाठी लेकर अनवर के मकान की तरफ गये। लाठी के जमीन पर पड़ने की आवाज से घर के अन्दर के लोगों को जो चोरी की नीयत से घुसे थे, उनके आने का आभास हो गया। इस पर वे लोग तमन्चे से फायर करते हुए भाग गये। भागते हुए एक व्यक्ति को देखा जो नीली रंग का नेकर व काली टी शर्ट पहने था। उनके जाने के बाद उन्होंने ऊपर सो रहे अनस को जगाया तथा घर के अन्दर चैक किया तो गले का सोने का सैट चोरी हो गया था।

इस प्रकार अभियोजन कथानक अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी के भाई अनवार के मकान से सोने का सैट चोरी करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है।

दौरान विवेचना दिनांक 17.11.2025 को आवेदक/अभियुक्त को पुलिस पार्टी द्वारा पुलिस मुठभेड़ की घटना में पकड़ा जाना तथा उसके द्वारा विभिन्न चोरी की घटना कारित करने की संस्वीकृति किया जाना एवं विभिन्न चोरी की घटनाओं का माल मुकदमा बरामद होना कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफता नहीं है तथा वह दिनांक 18.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्व है। मामले में विवेचनोपरांत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। सह अभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा तत्सबंधी दंड को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार अभियुक्त चुटकी उर्फ छुटकी पुत्र बालेन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अंकन 50,000/–रुपये (पचास हजार रूपये) की दो जमानतें तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया जाये :–

(1) आवेदक/अभियुक्त बन्धपत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगा–

(क) ऐसा व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है. कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगा. धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

(2) आवेदक/अभियुक्त यह बन्धपत्र भी दाखिल करेगा आवेदक/अभियुक्त विचारण के पूर्ण होने के छः माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है. तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(3) आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

(4) आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/

साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि संबंधित न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करें।

प्रभारी– सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।